न्यायालय जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री अंश दीप, आई.ए.एस.

राजस्व विविध : 06/2021
जी.सी.एम.एस. : 2021/72

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
निजामुद्दीन पुत्र श्री मिश्रु खां जाति पठान मुसलमान निवासी खैरवा तहसील पाली जिला पाली		1. सरपंच ग्राम पंचायत खैरवा 2. लीला देवी पत्नी भीकाराम दमामी जाति दमामी, निवासी खैरवा तहसील पाली जिला पाली

रिव्यु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97(3) राज. पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित :–
प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मांगीलाल प्रजापत
अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्रनारायण औझा।

–: निर्णय :–

दिनांकः– 29-11-21

वकील प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97(3) राज पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत इस न्यायालय के निगरानी प्रकरण संख्या 03/2019 बअनवान निजामुद्दीन बनाम संरपच खैरवा में पारित निर्णय दिनांक 16.12.2020 के पुर्नविलोकन हेतु पेश किया है। वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर मूल पत्रावली व रेकर्ड संलग्न किया गया। तथा अप्रार्थीगण की तलबी की जाकर बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने वक्त बहस प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराया तथा प्रार्थना पत्र में व निगरानी में अंकित तथ्य ही निवेदन किये गये है। इस न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित निर्णय में निगरानी इस आशय से निरस्त की गई थी कि अधिवक्ता प्रार्थी यह सिद्ध नही कर पाये कि ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा आबादी भूमि में जारी नही किया जाकर रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 1199 में जारी किया है अथवा खातेदारी भूमि में जारी किया गया है न ही ऐसा साक्ष्य सबुत भी पेश किया गया है प्रार्थी अगर उपरोक्त आशय के साक्ष्य सबूत जुटा लेता है तो वह नये सिरे से पट्टा खारिज कराने हेतु पुनः निगरानी प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है साक्ष्य सबूत के अभाव मे प्रार्थी अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

वकील प्रार्थी द्वारा जैर प्रार्थना पत्र पट्टा खातेदारी भूमि में जारी किया गया है या रास्ते मे या आबादी भूमि में इस आशय का कोई सबूत अथवा साक्ष्य पेश नही कर पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र पेश कर दिया। पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र के साथ भी जैर निगरानी पट्टा खातेदारी भूमि/रास्ते में जारी किया गया है, आबादी भूमि में नही किया गया है इस आशय [illegible] का दस्तावेजी साक्ष्य सबूत पेश नही किया गया है। न ही [illegible] उल्लेख है न राजस्व रेकर्ड में पट्टे का उल्लेख है [illegible] मानने का कोई युक्तियुक्त कारण नही है कि पट्टा आबादी भूमि में जारी नही किया गया है प्रार्थी को [illegible] सबूत के साथ पुनः निगरानी पेश करने का विकल्प देने के बाद भी बिना साक्ष्य सबूतो के पुर्नविलोकन प्रार्थना पत्र पेश कर दिया गया है जो काबिल निरस्त योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:38:10 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, पाली

राज. पंचायती राज अधिनियम की धारा 97(3) के अनुसार– राज्य सरकार स्वप्रेरणा से या किसी भी हितबद्ध व्यक्ति से प्राप्त किसी आवेदन पर किसी भी समय उप–धारा(1) के अधिन आदेश पारित किये जाने के 90 दिन के भीतर–भीतर ऐसी किसी भी आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगी यदि वह उसके द्वारा किसी भूलवश, जो चाहे तथ्य की हो या विधि की या किसी तात्विक तथ्य अज्ञानतावश पारित किया गया हो उपधारा (1) के परन्तुक और उप–धारा(2) में अन्तर्विष्ट इस उप धारा के अधीन कार्यवाहियों पर लागू होगें। वकील प्रार्थी द्वारा किसी विधि की भूल तात्विक तथ्य तथा अज्ञानतावश निर्णय पारित किये जाने का उल्लेख न तो प्रार्थना पत्र में किया गया न ही वक्त बहस कथन किया गया है। उक्त पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र में मूल निगरानी के ही आधार पर दोबारा दोहराना उचित नहीं है। पुनर्विलोकन में पूर्व मे निर्णित पक्ष को किसी नई जानकारी के अभाव में पुनः निर्णित करना औचित्यपूर्वक नहीं है।

परिणाम स्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29-11-21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया।

जिला कलेक्टर न्यायालय पाली (राजस्थान)

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:38:10 IST
Reason: SelfAttested